o/c

DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI

Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035
E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com
Website : www.dsrdsdelhi.com
Registration No : S/3097/SDM/NW/2018

PRESIDENT
SHIV KUMAR GARG
9212567435

SR. VICE PRESIDENT
JAGDISH PRASHAD
9810406015

VICE PRESIDENT
KUNJ BIHARI BANSAL
9810630323
SHYAM SUNDAR
9911170848
SUNIL SHARMA
9310023180
MANOJ SHARMA
9958203929

GEN. SECRETARY
HARI KISHAN CHHAW[illegible]
9212442834

SECRETARY
SAURABH GUPTA
9810943745
RAJNEESH SHARMA
9818569678
MATLOOB ALAM
9911358494
MANJEET KAUR
9210565722
SONU MITTAL
9821799248

CASHIER
RAHUL AGGARWAL
9871420213

EXEC. MEMBERS
RAJESH CHAUHAN
9870312356
JAGJEET SINGH
9560712625
VIJAY GUPTA
9811670078
SUNIL GUPTA
9650446793
SURENDER KAUSHIK
7982945473
SANJAY GUPTA
9818302828

Ref. : DSRDS-DELHI/2019/NO. 63-67 *Date :* 14-6-19

सेवा में,

श्रीमति आयुक्त महोदया,

खाद्य एंव सम्भरण विभाग, दिल्ली सरकार,

के ब्लाक, विकास भवन, आई पी एस्टेट,

दिल्ली-110002

विषयः परिपत्र संख्या No.F.15(01)CFS/Distt/2019-20/151-157 दिनांक 29/4/2019 के सन्दर्भ में।

महोदया,

दिनांक 29 अप्रैल 2019 को विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या No.F.15(01)CFS/Distt/2019-20/151-157 के अनुसार दिल्ली में, उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न की आपूर्ति समय से पूर्व कराने हेतु विभाग ने एक समयावली बनाई है जो कि निम्न प्रकार है:-

Last date of sale data provided by the FPS owner	5th day of tphe month
Last date of entry of Sale data by FSOs	10th day of the month
Allocation Date	15th day of the month
Last date of making payment by FPS owners to DSCSC Ltd. For cost of SFAs after the allocation in made	25th day of the month
Last date of making payment by DSCSC Ltd. To FCI for Lifting of allocated quantity of SFAs	Last day of the month
Last Date of lifting of food grains by DSCSC Ltd. To FCI preceding the allocation month	Last day of the month

14/6/19

Food & Supply Office (R&I)
N.C.T. of Delhi

महोदया, उदाहरनार्थ दिल्ली में, जुलाई माह का खाद्यान्न समय से पूर्व दिल्ली की सभी उचित दर दुकानों तक पहुँच जाये, इसके लिये समयावली अनुसार जुलाई के खाद्यान्न हेतू एलोकेशन कर दी गई और अग्रिम भुगतान हेतू तिथि 25 मई निर्धारित कर दी गई। इस तरह जुलाई माह हेतू आपूर्ति, DSCSC के द्वारा 4-5 जून से कभी भी उचित दर दुकानों पर शुरू कर दी जाएगी।

उपरोक्त समयावली के अनुसार सभी राशन कार्डधारियों को सही समय पर खाद्यान्न के वितरण हेतू विभाग द्वारा यह समयावली बनाई गई, किंतू विभाग द्वारा यह समयावली बनाते समय इस सन्दर्भ में पहले से सामने आ रही समस्याओं का समाधान ना करते हुए उन समस्याओं को ओर जटिल बना दिया गया है। जिनकी ओर हम आपका ध्यान आकर्शित करना चाहते है।

1. राशन कार्डधारियों को जून के राशन का पूर्ण वितरण हो पाने से पहले ही जुलाई माह का खाद्यान्न उचित दर दूकानों पर आ जाएगा। जिससे जून के महीने का खाद्यान्न नीचे दबता जाएगा, और नये खाद्यान्न का वितरण होता रहेगा। परिणामस्वरूप नीचे दबे पुराने खाद्यान्न की गुणवत्ता में कमी आएगी, ये माल खराब भी हो सकता है। हो सकता है, ये खाद्यान्न खाने योग्य न रहे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी।

2. विभाग द्वारा नीयत उचित दर दूकानों के आकार के अनुसार खाद्यान्न का भंडारण सूचारू रूप से केवल एक ही माह का किया जा सकता है, इस कारण उचित दर दुकानों पर अगामी माह हेतू खाद्यान्न की आपूर्ति 15-20 तारीख के बाद होनी चाहिये।

4. दिल्ली में, उचित दर दूकानदारों को कमीशन खाद्यान्न को वितरण करने के बाद दिया जाता है, इस प्रक्रिया के अनुसार दुकानदारों का कमीशन लगभग 2 माह बाद उन्हें मिलेगा, जबकी दिनांक 17 अगस्त 2015 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना मे वर्णित खंड 8 (1) के अनुसार उचित दर दूकानदारों का कमीशन / लाभांश राज्य सरकारें अग्रिम रूप से संदाय करेगी।

महोदया खाद्यान्न को सही समय के साथ-साथ सही गुणवत्ता को सुनिश्चित करके वितरीत कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है।

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ का यह सूझाव है कि उपरोक्त समस्याओं से निजात हेतू विभाग निम्न उपाय भी अपना सकता है।

1. दिल्ली में, उचित दर दूकानों पर आगामी माह हेतु खाद्यान्न की आपूर्ति पहले की भांती 15 तारीख के बाद शुरू की जाए, जिसकी पूर्णत: जिम्मेदारी DSCSC की सुनिश्चित की जाए।
2. दिनांक 20 मार्च 2015 को भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र के खंड 7(1) अनुसार राज्य सरकार अपना मध्यवर्ती गोदाम बनाए। जिससे राज्य में खाद्यान्न की कमी ना हो। अत: राज्य में अग्रिम खाध्यान्न के भंडारण हेतू व्यवस्था स्थापित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है।

3. दिल्ली में उचित दर दूकान से कार्डधारियों को राशन वितरण करने की अन्तिम तिथी प्रत्येक माह 15 तारिक निश्चित की जाए, ताकी पिछला खाध्यान्न आगामी खाध्यान्न के निचे दबकर (Over lapping) खराब होने से बच सके और राशन कार्डधारी भी अपना खाद्यान्न समय से उचित दर दूकान से ले जा सके।

4. **DSCSC** के द्वारा उचित दर दूकानों पर खाद्यान्न की अग्रिम माह की ढुलाई करते समय यह ध्यान रखा जाए, जिन उचित दर दूकानों के खाद्यान्न की मात्रा कम हो अर्थात बडते हुए क्रम में (**Ascending order**) उन्हें पहले खाद्यान्न की सप्लाई दी जाए।

महोदया जी, आपसे यह नम्र निवेदन है कि उपरोक्त विषय में संज्ञान लें ओर उचित दर दूकानों पर आगामी माह हेतू खाद्यान्न की आपूर्ति माह की 15 तारिक के बाद होना सूनिश्चित करें। जिससे की व्यवस्थित रूप से उचित दर दूकानों से राशन का रख रखाव और वितरण किया जा सके।

धन्यवाद,

(सौरभ गुप्ता)
सचिव
दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ-दिल्ली

1. माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय दिल्ली।
2. माननीय खाद्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय दिल्ली।
3. माननीय खाद्य मंत्री, भारत सरकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, 7-9 आराम बाग दिल्ली।

ED783796076IN IVR:6968783796076 भारतीय डाक
SP MEHRAULI SO <110030>
Counter No:3,15/06/2019,10:01
To:FOOD MINISTER ,KRISHI BHAWAN
PIN:110001, New Delhi GPO
From:DELHI GOVT, RASHAN.NN
Wt:20gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
<Track on www.indiapost.gov.in>
India Post